बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रं. 987 /अका./संब./2015 भोपाल, दिनांक 19-9-15

प्रति,

प्राचार्य,

[illegible] महाविद्यालय
[illegible] भोपाल

विषयः– सत्र 2015-16 में प्रदत्त स्थाई/अस्थाई सम्बद्धता/निरंतरता प्रदान करने विषयक।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 01/05/2015 में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद की ओर से कुलपति के प्रदत्त अधिकार 15(4) में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की स्थाई/अस्थाई संबद्धता निम्न शर्तो के साथ प्रदान की [illegible] है। :-

1. BCom I II III - All Comp. Sub with CA [illegible] BBA I II III - 60 Seats
2. BSc I II III - Phy Chem. Bot. Zool. Math. Micro Biotech IT [illegible]
3. BCA I II III 60 Seats, MCom P/F 40 Seats
4. MSc P/F Chem. Biotech. Micro. Botany Zool. 25 Seats each.
5. BCom I II Hons - 60 Seats
6. ....
7. ....
8. ....

शर्ते :–

1. आपको प्रदत्त अस्थाई संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2016-17 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, की मान्यता, निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ 31.03.2016 तक आवेदन करना होगा।
2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते है।
3. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत 3 माह में पूर्ण करनी होगी।
4. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
5. आपको शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
6. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तो की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगा।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।

नोटः जिन महाविद्यालयो में कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नही की है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।

आदेशानुसार

उप-कुलसचिव (अकादमी)

पृ0क्रमांक 988 /अका/संब.I/2015 भोपाल, दिनांक 19-6-15

प्रतिलिपिः

5. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी भोपाल/नर्मदापुरम संभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
8. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव, (अकादमी)